अध्याय–I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़े नीचे दर्शाये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	24,959.32	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.43
	• करेत्तर राजस्व	5,816.01	6,766.55	13,601.09	11,176.21	10,145.30
	योग	**30,775.33**	**35,425.52**	**47,478.69**	**52,531.21**	**62,758.73**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	29,287.74	30,905.72	31,796.67	43,218.90	50,350.95[1]
	• सहायक अनुदान	8,609.40	11,499.49	17,145.59	15,433.65	17,760.02
	योग	**37,897.14**	**42,405.21**	**48,942.26**	**58,652.55**	**68,110.97**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)**	**68,672.47**	**77,830.73**	**96,420.95**	**1,11,183.76**	**1,30,869.70**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**45**	**46**	**49**	**47**	**48**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,30,869.70 करोड़) का, विगत वर्ष के 47 प्रतिशत के विरूद्ध 48 प्रतिशत था। 2011–12 की प्राप्तियों का शेष 52 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2011–12 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृहत लेखा शीर्षक 'अ– कर राजस्व' के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021– निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028– आय और व्यय पर अन्य कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में' शामिल किया गया है।

1.1.2 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2010–11 के सन्दर्भ में 2011–12 में वृद्धि (+) अथवा कमी(–)	2010–11 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	वाणिज्य कर/वैट	15,023.10	17,482.05	20,825.18	24,836.52	33,107.34	(+) 8,270.82	33.30
2.	राज्य आबकारी	3,948.40	4,720.01	5,666.06	6,723.49	8,139.20	(+) 1,415.71	21.06
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,976.68	4,138.27	4,562.23	5,974.66	7,694.40	(+) 1,719.74	28.78
4.	वाहनों पर कर	1,145.84	1,124.66	1,403.50	1,816.89	2,375.86	(+)558.97	30.77
5	माल एवं यात्रियों पर कर	109.65	266.49	271.05	241.69	4.81	(-) 236.88	(-) 98.01
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	206.65	216.72	272.16	357.00	458.20	(+) 101.20	28.35
7.	भू–राजस्व	392.53	549.28	663.14	1,134.16	490.68	(-) 643.48	(-) 56.74
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	137.50	140.58	193.34	245.15	312.46	(+) 67.31	27.46
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ, निगमित कर आदि)	18.97	20.91	20.94	25.44	30.46	(+) 5.02	19.75
योग		**24,959.32**	**28,658.97**	**33,877.60**	**41,355.00**	**52,613.43**[2]	**11,258.43**	**27.22**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्न कारणों को सूचित किया:

वाणिज्य कर/वैटः उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर का अधिक संग्रह होने के कारण वृद्धि हुई थी।

राज्य आबकारीः ''देशी मदिरा,'' ''विदेशी मदिरा तथा स्प्रिट'' में राजस्व की अधिक वसूली के कारण वृद्धि हुई थी।

स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्कः गैर–न्यायिक स्टाम्पों की अधिक बिक्री के कारण वृद्धि हुई थी।

वाहनों पर करः वाहनों की बिक्री पर करों की अधिक वसूली तथा राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत करों के संग्रह के कारण वृद्धि हुई थी।

माल एवं यात्रियों पर करः 2011–12 से इस लेखा शीर्ष के राजस्व को जमा करने हेतु लेखा शीर्ष ''वाहनों पर कर'' नियत किया गया, इसलिए बजट प्राक्कलनों में प्रावधान शून्य था तथा इस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियाँ मात्र ₹ 4.81 करोड़ थीं।

भू–राजस्वः नियत प्रभारों के कम संग्रहण, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट गाजियाबाद एवं आवास परिषदों के बकायों की कम वसूली के कारण कमी हुई थी।

अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (फरवरी 2013)।

[2] कालम में कर राजस्व के उर्ध्व योग में ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर वास्तविक ऑकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण है।

1.1.3 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 की अवधि में उगाहे गये करेत्तर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 के सन्दर्भ में 2011-12 में वृद्धि (+) अथवा कमी(–)	2010-11 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	विविध सामान्य सेवायें	1,153.53	1,698.79	8,075.13	5,120.67	4,035.23	(-) 1,085.44	(-) 21.20
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,247.84	963.87	603.66	689.32	789.22	(+) 99.90	14.49
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	294.80	271.92	271.29	280.34	285.88	(+) 5.54	1.97
4.	मध्यम सिंचाई	319.43	260.91	240.21	148.62	145.52	(-) 3.10	(-) 2.08
5.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,217.62	1,080.61	2,339.86	2,614.11	2,008.55	(-) 605.56	(-) 23.16
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	146.10	145.04	147.19	374.46	542.65	(+) 168.19	44.91
7.	अलौह धातु उत्खनन एवं धातुकर्म उद्योग	395.20	427.31	604.97	653.39	593.28	(-) 60.11	(-) 9.20
8.	पुलिस	147.17	160.78	119.34	177.13	196.30	(+) 19.17	10.82
9.	क्राप हस्बेन्ड्री	51.03	49.64	37.60	42.18	58.66	(+) 16.48	39.07
10.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	19.73	34.06	39.69	49.56	154.03	(+) 104.47	210.79
11.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	72.11	618.84	94.35	101.35	107.93	(+) 6.58	6.49
12.	लघु सिंचाई	31.41	31.65	25.26	36.00	47.94	(+) 11.94	33.18
13.	सड़क एवं सेतु	74.24	60.69	87.10	98.51	152.85	(+) 54.34	55.16
14.	लोक निर्माण	34.03	57.52	72.80	69.45	69.97	(+) 0.52	0.75
15.	सहकारिता	6.33	26.46	16.39	9.38	9.78	(+) 0.40	4.29
16.	अन्य	605.44	878.46	826.25	711.74	947.51	(+) 235.77	33.13
योग		**5,816.01**	**6,766.55**	**13,601.09**	**11,176.21**	**10,145.30**	**(-) 1,030.91**	**(-) 9.22**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्न कारणों को सूचित किया:

विविध सामान्य सेवायें: अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम संग्रह के कारण कमी हुई थी।

शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति: प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत विविध प्राप्तियों की कम वसूली के कारण कमी हुई थी।

अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (फरवरी 2013)।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग के प्रत्युत्तर

1.2.1 राज्य सरकार के हितों के संरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवाबदेही लागू करने में विफलता

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जाँच और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के सत्यापन हेतु महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश (ए0जी0) द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब स्थल पर समाधान नहीं हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियों पर कमियाँ एवं त्रुटियों को सुधार कर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के

प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2011 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमारी समीक्षा से पता चला कि जून 2012 के अन्त तक 11,538 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 5,234.12 करोड़ धनराशि के 28,455 प्रस्तर लम्बित थे साथ ही साथ विगत दो वर्षो के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दर्शाये गये हैं:

क्र0 सं0	विवरण	2010	2011	2012
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	9,287	10,349	11,538
2.	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	22,484	25,501	28,455
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड में)	3,757.81	4,445.39	5,234.12

30 जून 2012 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा आपत्तियॉ एवं सन्निहित धनराशि का विभागवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

क्र0 सं0	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
1.	व्यापार कर/वैट, प्रवेश कर सहित	4,138	12,856	1,951.88	1984-85 से 2011-12
2.	राज्य आबकारी	1,048	2,075	331.16	1984-85 से 2011-12
3.	भू–राजस्व	542	772	28.09	1987-88 से 2011-12
4.	वाहन, माल तथा यात्रियों पर कर	1,001	3,259	702.81	1984-85 से 2011-12
5.	लोक निमार्ण	468	921	64.48	1986-87 से 2011-12
6.	सिंचाई	350	748	108.51	1984-85 से 2011-12
7.	गन्ने के क्रय पर कर	97	112	54.29	1985-86 से 2011-12
8.	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	2,577	4,731	228.90	1984-85 से 2011-12
9.	कृषि	182	309	22.21	1985-86 से 2011-12
10.	विद्युत शुल्क	174	215	170.15	1988-89 से 2011-12
11.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	105	179	19.76	1991-92 से 2011-12
12.	सहकारिता	93	114	5.96	1985-86 से 2011-12
13.	मनोरंजन कर	134	210	10.54	1997-98 से 2011-12
14.	अलौह धातु उत्खनन एवं धातुकर्म उद्योग	15	89	97.71	2010-11 से 2011-12
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	116	480	10.40	2002-03 से 2011-12
16.	वानिकी एवं वन्य जीवन	495	1,382	1,427.25	2003-04 से 2011-12
17.	कारागार	3	3	0.02	2002-03 से 2011-12
योग		**11,538**	**28,455**	**5,234.12**	

निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी मात्रा में लम्बित रहना यह इंगित करता है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष असफल रहे।

शासन को लेखापरीक्षा आपत्तियों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर हेतु एक प्रभावकारी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए साथ ही साथ निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों का उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/लम्बित मांगों की वसूली में विफल रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने की हम अनुशंसा करते हैं।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों के निराकरण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार ने विभिन्न अवधियों के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

विभाग का नाम	सम्पन्न बैठकों की संख्या	विचारार्थ प्रस्तरों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	27	221	221	3.40
भू–राजस्व	6	45	28	0.48
लोक निर्माण	4	57	37	0.16
योग	**37**	**323**	**286**	**4.04**

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के अतिरिक्त, नीचे दर्शाये गये विवरणानुसार स्थलवार्ता तथा विभागों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 33.67 करोड़ के 767 प्रस्तर निस्तारित किये गये:

विभाग का नाम	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	488	9.55
स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	127	4.10
राज्य आबकारी	74	17.27
परिवहन	24	0.39
भू–राजस्व	7	2.14
भू–तत्व एवं खनिकर्म	38	0.16
मनोरंजन कर	9	0.06
योग	**767**	**33.67**

अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियाँ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.2.3 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर सभी विभागों को छः सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने के लिये वित्त विभाग ने निर्देश निर्गत किये थे। आलेख प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिये अनुरोध करते हुए महालेखाकार द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे गये। विभाग से उत्तर न प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्तरों के अन्त में निश्चित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 55 आलेख प्रस्तर तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से जून 2011 तथा मई 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था। सम्बन्धित विभाग के सचिवों ने निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 15 आलेख प्रस्तरों के विरूद्ध उत्तर भेजा है, जबकि 32 आलेख प्रस्तरों के विरूद्ध विभागों से उत्तर प्राप्त किया गया। परिवहन, भू–तत्व एवं खनिकर्म तथा वन विभागों से क्रमशः एक, पाँच तथा दो आलेख प्रस्तरों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण – सारांश

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों, विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 109 प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं को, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, 75 आलेख प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी अक्टूबर 2012 तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2006–07 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तरों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2006–07	15 फरवरी 2008	24	12	12
2007–08	17 फरवरी 2009	16	14	2
2008–09	28 जनवरी 2010	13	8	5
2008–09 (राज्य आबकारी पर स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट)	05 अगस्त 2011	1	0	1
2009–10	08 अगस्त 2011	20	0	20
2010–11	30 मई 2012	35	0	35
योग		**109**	**34**	**75**

1.2.5 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 2,751.67 करोड़ के अवनिर्धारण, करों के कम आरोपण/अनारोपण, राजस्व क्षति, मांग सृजित करने में असफलता आदि के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्टूबर 2012 तक ₹ 959.69 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की गयीं और ₹ 14.11 करोड़ की वसूली की गई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनवार स्वीकार किये गये मामले तथा की गयी वसूली का विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2006-07	92.18	1.74	0.37
2007-08	1,035.85	927.83	12.83
2008-09	109.07	4.26	0.03
2008–09 (राज्य आबकारी पर स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट)	1,344.56	--	--
2009-10	69.15	8.77	0.16
2010-11	100.50	17.09	0.72
योग	**2751.67**	**959.69**	**14.11**

स्वीकार किये गये मामलों में वसूली अत्यधिक कम (1.47 प्रतिशत) है।

सन्निहित धनराशियों, विशेषतः स्वीकृत मामलों में, की त्वरित वसूली के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में, एक विभाग से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा प्रस्तरों में उठाये गये मुख्य बिन्दुओं पर शासन/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.3.1 से 1.3.2.2 में **परिवहन विभाग** के निष्पादन पर विगत छः वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामले एवं वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गयी है।

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

पिछलें छः वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और मार्च 2012 तक की उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक रहतिया			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम रहतिया		
	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि
2006-07	904	2710	102.72	61	171	9.22	1	4	0.01	964	2877	111.93
2007-08	964	2877	111.93	67	295	11.35	6	12	0.10	1025	3160	123.18
2008-09	1025	3160	123.18	74	245	107.19	208	546	10.73	891	2859	219.65
2009-10	891	2859	219.65	78	360	25.74	39	111	11.15	930	3108	234.24
2010-11	930	3108	234.24	60	183	8.34	132	610	15.57	858	2681	227.01
2011-12	858	2681	227.01	71	510	87.47	4	24	0.39	925	3167	314.09

वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान 18 आडिट कमेटी बैठकों में ₹ 26.16 करोड़ निहत धनराशि के 920 प्रस्तर निस्तारित किये गये थे।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछलें पॉच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों की स्थिति, इसमें से विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामले तथा वसूल की गई धनराशियों का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की संख्या	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूल की गयी धनराशि	स्वीकार किये गये मामलों की वसूली की क्यूमिलेटिव स्थिति
2006-07	2	6.11	-	-	-	-
2007-08	2	82.02	1	73.22	1	8.80
2008-09	1	5.80	-	-	-	-
2009-10	1	15.60	1	5.49	-	-
2010-11	8	2.15	3	0.57	-	-
योग	**14**	**111.68**	**5**	**79.28**	**1**	**8.80**

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वीकार किये गये प्रस्तरों और उनकी धनराशि की प्रतिशतता बहुत कम है। वसूली की धनराशि स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि के सापेक्ष 11.10 प्रतिशत है।

हम अनुसंशा करते हैं कि विभाग कम से कम स्वीकृत प्रस्तरों में सन्निहित धनराशियों की वसूली सुनिश्चित करें।

1.3.2.2 शासन/विभागों द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

हमारे द्वारा सम्पादित इन आलेख निष्पादन लेखापरीक्षाओं को शासन/सम्बन्धित विभागों को सूचना के लिए एवं उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ उत्तर देने हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एक समापन विचार गोष्ठी में भी विचार–विमर्श किया जाता है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन का दृष्टिकोण इनमें शामिल किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 एवं 2010–11 में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं क्रमशः ''परिवहन विभाग के कार्य–कलाप'' एवं ''मोटरयान विभाग में कम्प्यूटरीकरण'' में मुख्य रूप से दिखाये गये मामलों पर की गयी सिफाारिशें और विभाग द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर कृत कार्यवाही के विवरण सम्मिलित करते हुए नीचे दर्शायें गये हैः

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	स्वीकार संस्तुतियों की संख्या
2009-10	परिवहन विभाग के कार्य–कलाप	8	6
2010-11	मोटरयान विभाग में कम्प्यूटरीकरण	8	8

इन प्रतिवेदनों में दी गयी सिफाारिशों पर विभाग ने अभी तक की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया है।

1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पिछली रूझान, अन्य मापदण्डों एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन, शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामलें जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों में अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूपरेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 1,972 इकाइयाँ लेखापरीक्षा हेतु शामिल करने योग्य थीं जिसमें से 1,356 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया हैः

क्र0 सं0	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
1.	वाणिज्य कर	987	615
2.	राज्य आबकारी आसवनियों सहित	282	200
3.	परिवहन	97	96
4.	मनोरंजन कर	63	29
5.	स्टाम्प एवं निबंधन	404	339
6.	भू–तत्व एवं खनिकर्म	26	17
7.	वन	113	60
	योग	**1,972**	**1,356**

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त ''स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तैयार की गयी है।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर, आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा कर एवं करेत्तर प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,356 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में ₹ 1,754.31 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम कर आरोपण/राजस्व हानि के 4,878 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 637 मामलों में ₹ 33.83 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये जिनमें से ₹ 30.68 करोड़ के 78 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभागों द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान 326 मामलों में ₹ 3.79 करोड़ की वसूली की गयी, जिसमे से 25.79 लाख के 44 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में लाये गये थे।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में **"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को मिलाकर 56 प्रस्तर हैं जो कर, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बन्धित हैं, जिनमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 857.95 करोड़ है। शासन/विभागों ने ₹ 438.41 करोड़ की धनराशि की आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 2.60 करोड़ की वसूली की गयी। शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)। ये मामले अनुवर्ती अध्याय II से VII में वर्णित हैं।